

सं0सं0 आर0एफ0 नं0 3/विविध-01-38/2018

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
बिहार ।

पटना, दिनांक :

विषय: अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग एवं यक्ष्मा नियंत्रण को जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में नामित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O.No. T.11027/05/2017/NACO/BSH(HIV-TB) दिनांक 18.12.2017 द्वारा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी/जिला संचारी पदाधिकारी को Nodal Point for HIV AIDS Programme जिला स्तर पर नामित करने की अपेक्षा की गयी है जिसमें मुख्यतः कुल आठ जिम्मेवारियों इंगित की गयी है (भारत सरकार के पत्र की छाया प्रति संलग्न) ।

निदेशानुसार कहना है कि सभी जिलों के अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संचारी रोग एवं यक्ष्मा नियंत्रण) को HIV/AIDS कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी के रूप में भी नामित किया जाता है । संबंधित अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी निम्नांकित कार्यों का भी सम्पादन करेंगे :-

कार्य:-

1. Overall in-charge for HIV/AIDS in the district and responsible for DAPCU (Wherever present) and its function.
2. She/he will be facilitating the implementation of the district level strategy for prevention and control of HIV/AIDS in the district under the supervision and guidance from Chairperson of the District AIDS prevention and Control Committees (DAPCC) in DAPCU districts (Annexure 1) and District Coordination Committee (DCC) in on-DAPCU districts (Annexure 2).
3. Development of Annual Action Plan and provide inputs into the Programme Implementation Plan (PIP) on convergence.

4. Ensure the continuity of the supply chain, service delivery and implementation of directions of SACS.
5. Regularly report to district collector on the dash board indicators, submit DAPCU monthly report (wherever applicable) to PD-SACS on physical, financial, epidemiological progress of the programme including spatial maps in the district.
6. DTO may ensure HIV viral load test may be performed on CBNAAT Machines under RNTCP, in select districts of states wherever spare capacity over and above the TB tests performed is available.
7. Coordinate for condom promotion and district specific service demand generation campaigns with the support of district health and other line department machinery along with programme partners/components.
8. Undertake field visits to peripheral units. Other duties assigned by RNTCP and and NACP authorities.

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक :

640(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 23/8/18

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्यु नियंत्रण समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग/सभी क्षेत्रीय अपर उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

02-16-8-2018

सरकार के संयुक्त सचिव